R.C.T. No. 7829/2023
State of M.P. v/s Arvind Kumar

न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, म.प्र.

समक्ष : – सुश्री अदिति कैथवास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

Registration No-RCT/7829/2023

Filing No-RCT/27782/2023

C.N.R. No- MP0701-034059-2023

Date of Registartion -13-12-2023

[निर्णय तारीख– 26.11.2025]

[प्रकरण सं. 7829/2023]

(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरणः– थाना पुरानी छावनी, अपराध क्र. 198/2023 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860)

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रज्ञादीप राहुल सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	अरविन्द कुमार पुत्र चरण सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी डी 105 गली नम्बर 1 नगली बिहार पश्चिमी दिल्ली
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री एस एस नरवरिया

अपराध की तारीख	**11.05.2023**
प्र.सू.रि. की तारीख	**13.05.2023**
आरोप–पत्र (अभियोग पत्र) की तारीख	**13.12.2023**
आरोपों के विरचना की तारीख	**25.02.2024**
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	**29.04.2024**

R.C.T. No. 7829/2023
State of M.P. v/s Arvind Kumar

निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	**26.11.2025**
निर्णय की तारीख	**26.11.2025**
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	**—**

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	अरविन्द कुमार	अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय होने से अभियुक्त को आरक्षी केंद्र पुरानी छावनी द्वारा धारा–41क दप्रसं. के सूचना पत्र पर छोडा गया।	अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 13.12.2023 को नियमित जमानत पर छोडा गया।	धारा–279, 337 (तीन काउण्ट) व 338 भा.द.सं	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	पुनीत वशिष्ठ	जब्ती साक्षी
अ.सा. 2	दीपक सिंह राजावत	जब्ती साक्षी
अ.सा. 3	हरेन्द्र लोधी	फरियादी
अ.सा. 4	अजमेर उर्फ बृजमोहन लोधी	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 5	देवेन्द्र सिंह नरवरिया	आहत
अ.सा. 6	आरती	आहत

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.	––	––

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा.	––	––

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	जब्ती पत्रक
2	प्रदर्श पी 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी 03	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी 04	पुलिस कथन
5	प्रदर्श पी 05	पुलिस कथन
6	प्रदर्श पी 06	पुलिस कथन
7	प्रदर्श पी 07	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्शः

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण

	——	——

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	——	——

घ. आवश्यक वस्तुएं :

क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
	—	—

::: नि र्ण य :::
(आज दिनांक 26.11.2025 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 279 व 337 (तीन काउण्ट) व 338 भादस के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का अभियोग इस आशय का है कि उसने दिनांक 11.05.2023 को रात्रि करीब 02:30 बजे से समय 02:40 बजे के मध्य स्थान राजमोहन पैलेस के सामने अंतर्गत आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी में जो कि एक लोकमार्ग है में अपने वाहन स्विफट कार क्रमांक डी एल सी ए आर 4784 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी हरेन्द्र लोधी व आहतगण अजमेर व देवेन्द्र सिंह को साधारण उपहति कारित की एवं उक्त वाहन का उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आरती को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.05.2023 को हरेन्द्र लोधी ने थाना पुरानी छावनी आकर मौखिक रिपोर्ट की थी कि दिनांक 11.05.2023 को रात्रि करीब 02:30 वह अपनी कार सुजुकी एस प्रेसो क्रमांक एम पी 07 सी एच 3132 से अपने

रिश्तेदार अजमेर व देवेन्द्र व आरती के साथ अपने दोस्त अशोक नरवरिया की लडकी की शादी में राजमोहन पैलेस रितुराज चौराहे पर आया था और वह अपनी गाडी को राजमोहन पैलेस की पार्किंग में खडी कर खाना खाने अंदर चले गये और खाना खाके जैसे ही घर जाने के लिये अपनी कार सुजुकी एस प्रेसो क्रमांक एम पी 07 सी एच 3132 में बैठे तो ग्वालियर तरफ से आ रही लाल रंग की स्विफट कार क्रमांक डी एल 9 सी ए आर 4784 का चालक अपनी कार को बडी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी कार सुजुकी एस प्रेसो क्रमांक एम पी 07 सी एच 3132 में टक्कर मार दी जिससे उसकी गाडी क्षतिग्रस्त हो गई व उसे व अजमेर व देवेन्द्र व आरती के शरीर में जगह जगह चोटे आई और उसके बाद दूसरी गाडी से इलाज के लिये बिरला हॉस्पीटल गये थाना पुरानी छावनी के अपराध क्रमांक 198/2023 धारा 279 व 337 भा0द0स0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौराने साक्षीगण के कथन घटना कारित करने वाले की जब्ती, धारा 133 एम व्ही एक्ट का नोटिस, प्रमाणीकरण व घटना में प्रयुक्त वाहन चालक से पूछताछ कर प्रयुक्त कार स्विफट कार क्रमांक डी एल 9 सी ए आर 4784 के कागज रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस जब्त कर धारा 41 (क) द0प्र0स0 का नोटिस पर छोडा गया जब्त शुदा वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गई तथा विवेचाना के दौरान मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 338 द0प्र0स0 का इजाफा किया गया। विवेचना दौरान साक्षीगण के कथन, मेडीकल रिपोर्ट, जप्ती पत्रक, एफआईआर आदि से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 279, 337, 338 भा.द.सं सिद्ध पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को कण्डिका 01 में वर्णित अपराध विवरण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया गया था एवं विचारण चाहा था। अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् परीक्षण किया गया

जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया था। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी।

4. प्रकरण के सम्यक् निराकरण के लिए निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं–

1– क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.05.2023 को रात्रि करीब 02:30 बजे से समय 02:40 बजे के मध्य स्थान राजमोहन पैलेस के सामने अंतर्गत आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी में जो कि एक लोकमार्ग है में अपने वाहन स्विफट कार क्रमांक डी एल सी ए आर 4784 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2– क्या उक्त दिंनाक व समय व स्थान पर उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी हरेन्द्र लोधी व आहतगण अजमेर व देवेन्द्र सिंह को साधारण उपहति कारित की ?

3– क्या उक्त दिंनाक व समय व स्थान पर उक्त वाहन का उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत आरती को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की

4– दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

:::<u>सकारण–निष्कर्ष</u>:::

<u>विचारण प्रश्न क्रमांक–1 व 3</u>

5. अभियोजन साक्षी क्रमांक 3, 4, 5 व 6 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया एवं उन्होने यह बताया था कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं और न ही उसके सामने कोई घटना घटित हुई थी । उपरोक्त साक्षीगणों के उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी 4 लगायत 7 क्रमशः का ए से ए भाग पर जिन पर अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध व घटना के संबंध में संपूर्ण विवरण था को पुलिस को देने से इंकार

किया। अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 ने अपने न्यायालयीन कथन में घटना के संबंध में उसके द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट व नक्शा मौका उसके समक्ष लेखबद्ध व तैयार किये जाने के तथ्यों के संबंध में अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है परंतु प्रदर्श पी 2 व 3 के ए से ए भागों पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 ने उसके समक्ष कोई जब्ती की कार्यवाही न होना व्यक्त किया गया परंतु जब्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया जबकि अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 ने प्रदर्श पी 1 की कार्यवाही का समर्थन कर प्रदर्श पी 1 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

6. उपरोक्त विशलेषण से यह दर्शित है प्रकरण में स्वंय आहत व अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का समर्थन नहीं किया है एवं प्रकरण में अभियुक्त की पहचान व घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान व घटना संदेह से परे स्थापित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मात्र अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 के अनुसार अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध की आवश्यक अंर्तवस्तुओं संदेह से परे स्थापित नहीं होती है। उपरोक्त अनुसार प्रकरण में अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध की आवश्यक अंर्तवस्तुओं संदेह से परे स्थापित नहीं होती है।

7. उपरोक्त साक्ष्य के कथनों के विश्लेषण, तथ्य, तर्क एवं परिस्थितियों की विवेचना उपरांत यह दर्शित है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 के अलावा अन्य साक्षीगण द्वारा प्रकरण में अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध की आवश्यक अंर्तवस्तुओं के संबंध में किसी प्रकार का कोई सारवान कथन नही दिया है। उपरोक्त परिस्थिति में जहां अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध की आवश्यक अंर्तवस्तु प्रकरण में संदेह से परे स्थापित नहीं होती है वह अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

8. परिणामस्वरूप अरविन्द कुमार पुत्र चरण सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी डी 105 गली नम्बर 1 नगली बिहार पश्चिमी दिल्ली के विरूद्ध अधिरोपित अपराध अंतर्गत **धारा–279 ,**

337 (तीन काउण्ट) व 338 भा.द.स. के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित ना होने से अभियुक्त को उक्त धाराओं के अंतर्गत **दोषमुक्त** किया जाता है।

9. अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भार–हीन किये जाते हैं।

10. अभियुक्त प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा से जेल में निरूद्ध नहीं रहे है, इस आशय का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

11. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन स्विफट कार क्रमांक डी एल सी ए आर 4784 व पूर्व से वाहन स्वामी अरविन्द कुमार को अंतरिम सुर्पुदगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त समझा जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित, कर घोषित किया गया।

सही/–
अदिति कैथवास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–
अदिति कैथवास
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला ग्वालियर

ADITI KAITHWAS

Digitally signed by ADITI KAITHWAS
Date: 2025.11.26 05:19:26 -0500